बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

लाभांश वितरण नीति

अनुक्रमणिका

क्रम.सं	विषय	पृष्ठ संख्या
1	उद्देश्य	3-3
2	लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड	3-5
3.	देय लाभांश की राशि	6-7
4.	परिस्थितियाँ जिनके तहत शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं	7-7
5.	प्रारक्षित आय का उपयोग	7-8
6.	शेयरों के विभिन्न श्रेणी के लिए लाभांश	8-8
7.	लाभांश के भुगतान की विधि	8-8
8.	वैधता	8-8
9.	परिशिष्ट - 'अनुपालन संबंधी अध्याय'	9-9

लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम के रूप में संदर्भित] के विनियमन 43 ए के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक गणना की गई. बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं को लाभांश वितरण नीति तैयार करना आवश्यक होता है, जिसका खुलासा सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट पर किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी प्रदान किया जाएगा. इससे निवेशकों को इन हाई प्रोफाइल कंपनियों में निवेश करते समय निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

हमारा बैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के तहत गठित एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार द्वारा जारी लाभांश के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन करना भी आवश्यक है, जिन्हें इस नीति में विधिवत शामिल किया गया है

उद्देश्य

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारक बैंक की शेयर पूंजी में अपने निवेश पर दो तरीकों से रिटर्न कमाते हैं:

(1) शेयर मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजी वृद्धि, और

(2) आवधिक लाभांश के रूप में नकद वापसी

बैंक यह मानता है कि उसके शेयरधारकों को अपने नकद राशि की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवधिक लाभांश की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, लाभांश के भुगतान को बैंक की भविष्य की संभावनाओं के संकेत के रूप में देखा जाता है. बैंक अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी वितरित करने का प्रयास करता है.

आम तौर पर, बैंक को जिस वर्ष लाभ होता है, उन वर्षों के लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा होती है. लाभांश के रूप में कितना वितरित करना है, इसका निर्णय इनमें शामिल कई कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है जो कि इस प्रकार है:

(क) बैंक की वर्तमान और भावी वित्तीय कार्य निष्पादन.

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं.

(ग) बैंक की निवेश और विस्तार योजनाएं, एवं

(घ) इनके शेयरधारक से अपेक्षाएं

चूंकि बैंक का परिचालन पूरे विश्व भर में है, इसलिए इसके लाभांश का निर्णय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थितियों और नियामक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित होता है.

<u>लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड:</u>

प्रारक्षित आय का उपयोग बैंक की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और इनका निवेश और विस्तार गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है. प्रारक्षित आय अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए संबल भी प्रदान करती है. बैंक शेयरधारकों की उचित नकद वापसी की अपेक्षा के साथ निवेश की मांगों को संतुलित रखने का भी प्रयास करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक: 04.05.20225 को जारी परिपत्र सं RBI/2004-05/451; DBOD.No.BP.BC.88/21.02.067/2004-05 में बैंक द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:

1) लाभांश का भुगतान केवल चालू वर्ष में हुए लाभ से किया जाएगा।

2) बैंक को निम्न मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिए

(क) पिछले दो पूर्ण वर्षों और जिस वर्ष के लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है, उसके लिए कम से कम 9% का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) होना चाहिए.

बैंक को 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें 9% की नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से ऊपर सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी शामिल है. जब भी बफर 2.5% से नीचे आता है, तो आय के विवेकाधीन वितरण (उदाहरण के लिए, लाभांश, शेयर पुनर्खरीद और विवेकाधीन कर्मचारी बोनस भुगतान) पर ऑटोमेटिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि बफर / पूंजी स्तर की न्यूनतम आवश्यकताओं को फिर से पूरा किया जा सके.

और

(ख) 7% से कम एनपीए आस्तियां (अनर्जक आस्तियां)

यदि बैंक उपर्युक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखा वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका शुद्ध एनपीए अनुपात 5% से कम हो.

---

3) बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध) और 17 (लाभांश की घोषणा से पहले आरक्षित निधि में लाभ के हिस्से का हस्तांतरण, 25% से कम नहीं) के प्रावधानों का पालन करना चाहिए.

उपधारा **15** पर - लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध

"(1)) कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने शेयरों पर तब तक कोई लाभांश नहीं देगी जब तक कि उसके सभी पूंजीकृत व्यय (प्रारंभिक व्यय, संगठन व्यय, शेयर-बिक्री कमीशन, ब्रोकरेज, उसे हुई हानी और व्यय की कोई अन्य मद जिसका मूर्त संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है) पूरी तरह से बट्टे खाते में डाला जाता है.

(2) उपधारा *(1)* या कंपनी अधिनियम, *1956 (1956* का *1)* के अनुसार किसी भी विपरीत परिस्थिति के होते हुए भी, एक बैंकिंग कंपनी अपने शेयरों पर बिना बट्टे खाते में डाले लाभांश का भुगतान कर सकती है-

(i) किसी भी मामले में अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कुछ हो तो , जहां इस तरह के मूल्यह्रास को वास्तव में पूंजीकृत नहीं किया गया है या अन्यथा नुकसान के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

*(ii)*शेयरों, डिबेंचर या बांडों (अनुमोदित प्रतिभूतियों के अलावा) में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, किसी भी मामले में जहां बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षक की संतुष्टि के लिए ऐसे मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है*;*

(iii) शेयरों, डिबेंचरों या बांडों (अनुमोदित प्रतिभूतियों को छोड़कर) में अपने निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास, यदि कुछ हो, किसी भी मामले में जहां बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षक की संतुष्टि के लिए ऐसे मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है*;*

(iii) किसी भी मामले में अनुचित ऋण, यदि कोई हो, जहां बैंकिंग कंपनी के लेखा परीक्षक की संतुष्टि के लिए ऐसे ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है.

धारा 17 - आरक्षित निधि

(1) भारत में स्थित प्रत्येक बैंकिंग कंपनी एक आरक्षित निधि का उपयोग करेगी और धारा *29* के तहत तैयार किए गए लाभ और हानि खाते में दर्शाये गए प्रत्येक वर्ष के लाभ के हिस्से में से और किसी भी लाभांश की घोषणा

से पहले, आरक्षित निधि में ऐसे लाभ के कम से कम बीस प्रतिशत के बराबर राशि हस्तांतरित करेगी.

दिनांक: 30 अगस्त, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशानिर्देश (दिनांक:11.10.2022 को अद्यतन) के अनुसार वित्तीय विवरण प्रस्तुति एवं उद्घाटन पर, लेखा मानक -26 के अनुपालन में बैंकों की बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त और की गई अमूर्त संपत्ति बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) के प्रावधानों को आकर्षित करेगी, जिसके संदर्भ में बैंकों को किसी भी लाभांश की घोषणा करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जब तक कि मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किए गए किसी भी व्यय को बैलेंस शीट में नहीं लाया जाता है. अपने बही-खातों में किसी भी अमूर्त संपत्ति को अंतरित समय लाभांश का भुगतान करने के इच्छुक बैंकों को केंद्र सरकार से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (1) से छूट लेनी चाहिए.

दिनांक 23.09.2000 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. BP.BC.24/21.04.018/2000-2001 मास्टर निदेश के साथ दिनांक 30 अगस्त, 2021 (11.10.2022 तक अद्यतन) को वित्तीय विवरण- प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर आरबीआई मास्टर निदेश के साथ पढ़ा गया जिसके अनुसार पूंजी वृद्धि के लिए, वाणिज्यिक बैंकों (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर) को वैधानिक रिजर्व में विनियोजन से पहले 'शुद्ध लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत हस्तांतरित करना आवश्यक है.

4) दिनांक 25' अगस्त, 2021 के अनुसार आरबीआई मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों (निर्देश) के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन, 2021, बैंक को अनिवार्य विनियोजन के बाद वर्ष के लिए शुद्ध लाभ से निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) और निवेश रिजर्व के लिए उपयुक्त होना चाहिए.

5) लाभांश घोषणा से पूर्व , बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियमों/नियमों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें परिसंपत्तियों की हानि, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ, सांविधिक रिजर्व में लाभ का हस्तांतरण, निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर), निवेश रिजर्व, विशेष भंडार, पूंजी भंडार और चालू वर्ष के लाभ से अन्य विनियोजन के लिए पर्याप्त प्रावधान रखना शामिल है.

6) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए

7) लाभांश की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निर्देश या सूचना के अधीन होगी.

8) लाभांश की घोषणा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क' (पीसीए) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र DOS.CO:PPG.SEC.No.44/11.01.005/2021-22 दिनांक: 2 नवंबर 2021 प्रतिबंध के अधीन है.

9) लाभांश की घोषणा केवल प्रति शेयर के आधार पर करनी चाहिए.

10) इस नीति और मौजूदा विनियमों के बीच विवाद की स्थिति में, विनियम प्रभावी होंगे.

देय लाभांश की मात्रा:

अ- भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार के दिशानिर्देश

अ-1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश:

(अ) लाभांश भुगतान अनुपात (अर्थात कर पश्चात और लाभ के लिए लाभांश का अनुपात) 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा.

		Net NPA Ratio			
श्रेणी	सीआरआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से लेकिन 5% से कम	5% से लेकिन 7% से कम
		लाभांश की सीमा भुगतान अनुपात			
A	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
B	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
C	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9 % या अधिक	30 तक	25तक	15 तक	5 तक
D	वर्तमान वर्ष में 9% या इससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए 'एक वर्ष में देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर, जहां भी लागू हो) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी.

(क) यदि संगत अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना करने के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी.

(ख) जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लगाए गएकिसी भी प्रतिबंध से मुक्त होना चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इस आशय की किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

अ 2. भारत सरकार के दिशा-निर्देश

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 18 जनवरी, 2013 के पत्र द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 20% या निवल लाभ का 20% (जो भी अधिक हो) लाभांश के रूप में भुगतान करने के लिए सूचित किया है .

यदि बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लेता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होगा. इसके अलावा, इन अनुदेशों के प्रावधानों से किसी

भी छूट के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्ट पूर्व अनुमति आवश्यक होगी.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 04 जून, 2021 के पत्र द्वारा स्पष्ट किया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान आरबीआई द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों के अधीन है और इसलिए, विशिष्ट पूर्व अनुमति केवल तभी मांगी जाएगी जब भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित लाभांश दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम राशि से कम हो और साथ ही नियामक दिशानिर्देशों / अनुदेशों के तहत अनुमत हो।

ब. अंतरिम लाभांश

बैंक लाभप्रदता के आधार पर अंतरिम लाभांश की घोषणा कर सकता है. ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश घोषित करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमा (अधिकतम/न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन होगा.

आ- आंतरिक और बाहरी कारक:

बैंक द्वारा लाभांश भुगतान का निर्णय कुछ बाहरी कारकों जैसे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और नियामक प्रावधानों, कर विनियमों पर भी निर्भर करेगा, जो लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकते हैं. उपर्युक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड विभिन्न आंतरिक कारकों को भी ध्यान में रखेगा, जैसे कि व्यवसाय विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, अंतरिम लाभांश का भुगतान, लेखा विवरण से संबंधित लेखा परीक्षक की योग्यता और एनपीए की पहचान में भिन्नता, प्रावधान में कमी आदि के संबंध में आरबीआई के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण निष्कर्ष इत्यादि. एमडी और सीईओ द्वारा बोर्ड को लाभांश भुगतान की अनुशंसा की जाएगी . लाभांश के प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

ऐसी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत शेयरधारकों को लाभांश दिया या नहीं दिया जा सकता है:-

लाभांश का वितरण निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन है, जैसा कि लागू है;

i) विचाराधीन वर्ष में के दौरान लाभ,

ii) सीआरएआर>= 11.50% (सीईटी 1 >= 5.50%) (आरबीआई/2022-23/12 DOR.CAP.REC3/21.06.201/2022-23 दिनांक 1 अप्रैल, 2022 के माध्यम से आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात और पूंजी संरक्षण बफर (9% + 2.50% = 11.50%) होगा.

(iii) निवल एनपीए 7% से कम (आरबीआई पेआउट मैट्रिक्स के अनुसार श्रेणी डी के लिए 5%)

iv) बेसल **III** का अनुपालन

5) टायर 1 लीवरेज कवरेज अनुपात >3.50%

प्रतिधारित आय का उपयोग

खुदरा आय का उपयोग बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाओं, पूंजी आवश्यकताओं या बैंक के बोर्ड के निर्णय के अनुसार, बैंक और उसके हितधारकों के लाभ के लिए या आरबीआई / भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए किया जाएगा.

<u>शेयरों के विभिन्न श्रेणियों के लिए लाभांश</u>

वर्तमान में, बैंक के पास शेयरों का केवल एक प्रकार की अर्थात इक्विटी शेयर है. शेयरों के विभिन्न वर्गों के अभाव में, लाभांश की घोषणा/वितरण के लिए मानदंडों का एक सेट निर्धारित किया गया है.

<u>लाभांश भुगतान का तरीका</u> :

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार, बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा.

जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करना संभव नहीं है, वहां पात्र शेयरधारकों को 'देय-सम' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे. यदि लाभांश के रूप में देय राशि एक हजार और पांच सौ रुपये से अधिक है, तो 'देय-सम' वारंट या चेक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।

कंपनी सचिव विभाग कॉर्पोरेट लेखा विभाग के साथ समन्वय में लाभांश के वितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करे.

लाभांश का भुगतान घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा

वैधता:-

यह नीति अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष तक वैध रहेगी. पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान आरबीआई / सेबी / भारत सरकार और किसी भी अन्य वैधानिक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देश बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का हिस्सा बन जाएंगे और इसके नवीकरण के समय नीति दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे.

एमडी एंड सीईओ समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति दे सकता है यदि नीति की समीक्षा नियत तारीख को या उससे पहले नहीं की जा सकती है।

एमडी एंड सीईओ समीक्षा की नियत तारीख के बाद अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए पॉलिसी को जारी रखने की अनुमति सकते है यदि नीति की समीक्षा नियत तारीख को या उससे पहले नहीं की जा सकती है.

बैंक ऑफ बड़ौदा

परिशिष्ट - 'अनुपालन संबंधी अध्याय'

लाभांश वितरण नीति के लिए विनियामकों/प्राधिकरणों के संक्षिप्त दिशानिर्देश/आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं

क्रम.सं	परिपत्र/ सूचना संख्या	विषय
1	'बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा' पर भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र - परिपत्र सं.: DBOD.NO। बीपी। BC.88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के साथ पठित - बेसल III पूंजी विनियम (परिपत्र सं. DBR.No बीपी, बीसी.1/21.06.201/2015-16 दिनांकित दिनांक 01.07.2015 को परिपत्र सं 01/07/2015 द्वारा यथा संशोधित। डीबीआर। बीपी। ईसा पूर्व। संख्या 20/21.06.201/2018-19 दिनांक 10.01.2019, परिपत्र संख्या: आरबीआई / 2f/42 DOR.BP.BC.No 15/21.06.201/2020-21 दिनांक 29.09.2020 और परिपत्र संख्या: आरबीआई/2020-21/93 डीओआर टोपी। B‹ . संख्या 34/21। 06.201/2020-21 दिनांक 05.02.2021.)	बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
2	परिपत्र क्र. 2021DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01,005/2021-दिनांक 2 नवंबर	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क
3	आरबीआई परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2021-22/83 डीओआर। एसीसी। आरईसी। संख्या 45/21.04.018/2021- 22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (11.10.2022 को अद्यतन), यथा संशोधित	वित्तीय विवरणों पर मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटीकरण
4	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [धारा 15] (1) और (2) और धारा 17]	लाभांश के भुगतान और आरक्षित निधि के अनिवार्य विनियोग के बारे में प्रतिबंध.
5.	Regulation 43A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015	लाभांश वितरण नीति
6.	भारत सरकार का पत्र संख्या 10/3/2010-बीओए दिनांक 18 जनवरी, 2013 और भारत सरकार का पत्र एफ संख्या 10/4/2021-बीओए दिनांक 4 जून, 2021 और भारत सरकार का पत्र एफ नंबर 7/7/2022-बीओए1 दिनांक 20 मई, 2022	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
7.	भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य संगत दिशानिर्देश।	